ए.

ढाका बालाराम रेड्डी और ए. एन. आर. बनाम

आंध्र प्रदेश राज्य और ए. एन. आर. (2019 की आपराधिक अपील संख्या 1295) अप्रैल 21,2023

बी.

[दिनेश माहेश्वरी और संजय कुमार**,** जे**.** जे**.]**

दंड संहिता, 1860-एस. एस.302, 397, 450 – परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर मामला-अभियोजन पक्ष का मामला कि अपीलकर्ता-आरोपी (ए 1 और ए 2) ने पीडब्लू-1 के घर में अतिक्रमण किया, जिसमें उसने लोहे की छड़ छिपाकर और सोने के गहने लूटकर अपना सोना और चांदी का व्यवसाय भी किया और अपने बेटे और पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी-अभियुक्त को दंडनीय अपराधों का दोषी ठहराया गया।302, 397 और 450 और तदनुसार सजा-की वैधता-
आयोजितःन्यायालयहन्यायालयान्यायालयलन्यायालयान्यायालयँन्यायालयकन्यायालयिन्यायालय
न्यायालयवन्यायालयान्यायालयसन्यायालयन्यायालयतन्यायालयवन्यायालयिन्यायालयकन्यायालय न्यायालयहन्यायालयतन्यायालयन्यायालययन्यायालयान्यायालयओन्यायालयंन्यायालय न्यायालयकन्यायालयेन्यायालय न्यायालयकन्यायालयोन्यायालयईन्यायालय न्यायालयचन्यायालयशन्यायालयन्यायालयमन्यायालयदन्यायालयीन्यायालयदन्यायालय न्यायालयगन्यायालयवन्यायालयान्यायालयहन्यायालय विचारण न्यायालयहन्यायालयीन्यायालयंन्यायालय न्यायालयथन्यायालयेन्यायालय,न्यायालय न्यायालयलन्यायालयेन्यायालयकन्यायालयि विचारण न्यायालय न्यायालयतन्यायालयी विचारण न्यायालय न्यायालयअन्यायालयलन्यायालयगन्यायालय-
न्यायालयअन्यायालयलन्यायालयगन्यायालय
न्यायालयगन्यायालयवन्यायालयान्यायालयहन्यायालय
न्यायालयपन्यायालयीन्यायालयडन्यायालयबन्यायालयन्यायालयलन्यायालययून्यायालय न्यायालय 4 न्यायालय,न्यायालय 6 न्यायालय न्यायालयऔन्यायालयरन्यायालय न्यायालय 1 न्यायालय 0 न्यायालय न्यायालयथन्यायालयेन्यायालय,न्यायालय न्यायालयजन्यायालयोन्यायालय न्यायालयएन्यायालयकन्यायालय-
न्यायालयदन्यायालययून्यायालयसन्यायालयरन्यायालयेन्यायालय न्यायालयसन्यायालयेन्यायालय न्यायालयसन्यायालयन्यायालयवन्यायालयतन्यायालयंन्यायालयतन्यायालयन्यायालयरन्यायालय न्यायालयथन्यायालयेन्यायालय न्यायालयऔन्यायालयरन्यायालय

न्यायालयअन्यायालयभन्यायालयिन्यायालययन्यायालयुन्यायालयकन्यायालय्न्यायालयतन्यायाल
योन्यायालयंन्यायालय न्यायालयकन्यायालयेन्यायालय
न्यायालयसन्यायालयान्यायालयथन्यायालय न्यायालयउ विचारण
न्यायालयकन्यायालयीन्यायालय न्यायालयकन्यायालयोन्यायालयईन्यायालय
न्यायालयदन्यायालयुन्यायालयशन्यायालय्न्यायालयम विचारण न्यायालयीन्यायालय विचारण
न्यायालयहन्यायालयीन्यायालयंन्यायालय न्यायालयथन्यायालयीन्यायालय
न्यायालयऔन्यायालयरन्यायालय न्यायालयउ विचारण न्यायालय्न्यायालयहन्यायालयोन्यायालयं
विचारण न्यायालयेन्यायालय न्यायालयएन्यायालयकन्यायालय
न्यायालयसन्यायालयान्यायालयथन्यायालय न्यायालयएन्यायालयकन्यायालय
न्यायालययन्यायालयान्यायालय न्यायालयदन्यायालयो विचारण न्यायालयोन्यायालयंन्यायालय
न्यायालयअन्यायालयभन्यायालयिन्यायालययन्यायालयुन्यायालयकन्यायालय्न्यायालयतन्यायाल
योन्यायालयंन्यायालय न्यायालयकन्यायालयोन्यायालय
न्यायालयपन्यायालयीन्यायालयडन्यायालयबन्यायालय्न्यायालयलन्यायालयून्यायालय-
न्यायालय 1 न्यायालय न्यायालयकन्यायालयेन्यायालय न्यायालयघन्यायालयरन्यायालय
न्यायालयसन्यायालयेन्यायालय न्यायालयभन्यायालयान्यायालयगन्यायालयतन्यायालयेन्यायालय
न्यायालयहन्यायालयुन्यायालयएन्यायालय न्यायालयदन्यायालयेन्यायालयख विचारण
न्यायालयेन्यायालय न्यायालयकन्यायालयेन्यायालय
न्यायालयबन्यायालयान्यायालयरन्यायालयेन्यायालय न्यायालयमन्यायालयेन्यायालयंन्यायालय
न्यायालयबन्यायालयान्यायालयतन्यायालय न्यायालयकन्यायालयीन्यायालय-
न्यायालयतन्यायालयी विचारण न्यायालय न्यायालयअन्यायालयलन्यायालयगन्यायालय-
न्यायालयअन्यायालयलन्यायालयगन्यायालय
न्यायालयगन्यायालयवन्यायालयान्यायालयहन्यायालयोन्यायालयंन्यायालय विचारण
न्यायालयेन्यायालय
न्यायालयअन्यायालयभन्यायालयिन्यायालययन्यायालयुन्यायालयकन्यायालय्न्यायालयतन्यायाल
योन्यायालयंन्यायालय न्यायालयकन्यायालयोन्यायालय
न्यायालयगन्यायालयलन्यायालयतन्यायालय
न्यायालयतन्यायालयरन्यायालयीन्यायालयकन्यायालयेन्यायालय न्यायालयसन्यायालयेन्यायालय
न्यायालयफन्यायालयंन्यायालयसन्यायालया विचारण न्यायालयेन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयान्यायालय
न्यायालयवन्यायालयिन्यायालयकन्यायालयलन्यायालय्न्यायालयपन्यायालय
न्यायालयकन्यायालय्न्यायालययन्यायालयोन्यायालयंन्यायालय न्यायालयचन्यायालयु विचारण
न्यायालयान्यायालय-
न्यायालयदन्यायालयुन्यायालयरन्यायालय्न्यायालयभन्यायालयान्यायालयगन्यायालय्न्यायालययन्
यायालयपन्यायालयून्यायालयरन्यायालय्न्यायालयणन्यायालय
न्यायालयरन्यायालयान्यायालयतन्यायालय न्यायालयकन्यायालयोन्यायालय
न्यायालयघन्यायालयट विचारण न्यायालयान्यायालयओन्यायालयंन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयान्यायालय न्यायालयकन्यायालय्न्यायालयरन्यायालयमन्यायालय

न्यायालयतन्यायालयेन्यायालयजन्यायालयीन्यायालय न्यायालयसन्यायालयेन्यायालय
न्यायालयसन्यायालयान्यायालयम विचारण न्यायालयेन्यायालय
न्यायालयआन्यायालययन्यायालयान्यायालय,न्यायालय
न्यायालयजन्यायालयिन्यायालयसन्यायालयसन्यायालयेन्यायालय विचारण न्यायालय
न्यायालयकन्यायालयेन्यायालयवन्यायालयलन्यायालय
न्यायालयउन्यायालयपन्यायालयसन्यायालय्न्यायालयथन्यायालयिन्यायालयतन्यायालय
न्यायालयगन्यायालयवन्यायालयान्यायालयहन्यायालयोन्यायालयंन्यायालय
न्यायालयदन्यायालय्न्यायालयवन्यायालयान्यायालयरन्यायालयान्यायालय
न्यायालयअन्यायालयभन्यायालयिन्यायालययन्यायालयुन्यायालयकन्यायालय्न्यायालयतन्यायाल
योन्यायालयंन्यायालय न्यायालयकन्यायालयीन्यायालय
न्यायालयपन्यायालयहन्यायालयचन्यायालया विचारण न्यायालय
न्यायालयकन्यायालयीन्यायालय न्यायालयगन्यायालयईन्यायालय,न्यायालय
न्यायालयबन्यायालयलन्यायालय्न्यायालयकन्यायालयिन्यायालय न्यायालयउ विचारण
न्यायालयकन्यायालयीन्यायालय
न्यायालयआन्यायालयशन्यायालयंन्यायालयकन्यायालयान्यायालय
न्यायालयऔन्यायालयरन्यायालय
न्यायालयगन्यायालयिन्यायालयरन्यायालयफन्यायालय्न्यायालयतन्यायालयान्यायालयरन्यायालय
ीन्यायालय न्यायालयभन्यायालयीन्यायालय
न्यायालयहन्यायालयुन्यायालयईन्यायालय,न्यायालय न्यायालयउ विचारण
न्यायालयकन्यायालयेन्यायालय न्यायालयकन्यायालयबन्यायालय्न्यायालयजन्यायालयेन्यायालय
न्यायालयसन्यायालयेन्यायालय न्यायालयचन्यायालयोन्यायालयरन्यायालयीन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयिन्यायालयएन्यायालय न्यायालयगन्यायालयएन्यायालय
न्यायालयसन्यायालयो विचारण न्यायालयेन्यायालय न्यायालयकन्यायालयेन्यायालय
न्यायालयगन्यायालयह विचारण न्यायालयेन्यायालय न्यायालयऔन्यायालयरन्यायालय विचारण
न्यायालयकन्यायालयदन्यायालयीन्यायालय
न्यायालयजन्यायालयबन्यायालय्न्यायालयतन्यायालय न्यायालयकन्यायालयर विचारण
न्यायालयेन्यायालय न्यायालयकन्यायालयेन्यायालय
न्यायालयअन्यायालयलन्यायालयान्यायालयवन्यायालयान्यायालय,न्यायालय
न्यायालयपन्यायालयुन्यायालयलन्यायालयिन्यायालयसन्यायालय
न्यायालयकन्यायालयेन्यायालय न्यायालयलन्यायालयिन्यायालयएन्यायालय
न्यायालयझन्यायालयून्यायालयठन्यायालयान्यायालय
न्यायालयआन्यायालयरन्यायालयोन्यायालयपन्यायालय न्यायालयलन्यायालयगन्यायालया
विचारण न्यायालयेन्यायालय न्यायालयकन्यायालयान्यायालय
न्यायालयकन्यायालयोन्यायालयईन्यायालय न्यायालयसन्यायालयमन्यायालययन्यायालय
न्यायालययन्यायालयान्यायालय न्यायालयसन्यायालयंन्यायालयभन्यायालयान्यायालयव विचारण
न्यायालयान्यायालय विचारण न्यायालयहन्यायालयीन्यायालयंन्यायालय

न्यायालयथन्यायालयीन्यायालय।न्यायालय 27, 106, 114(क)-भारत का संविधान-अनुच्छेद 136-साक्ष्य-परिवेशी साक्ष्य।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

भारत का संविधान-अनुच्छेद 136-अधिकार क्षेत्र-अभियुक्त के खिलाफ अपराध के समवर्ती निष्कर्ष, यू/अनुच्छेद 136 के साथ हस्तक्षेप-पर चर्चा की गई।

एच.

पप्पु बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य **(2022) 10** एस**.** सी**.** सी**. 321;** शंभू दास उर्फ बिजय दास और एक अन्य बनाम राज्य।

असम (2010) 10 एस. सी. सी. 374:[2010] 11 एससीआर 493

हनुमंत गोविंद नरगुंडकर बनाम। एम**.** पी**.** आकाशवाणी की स्थिति

1952 एससी 343:[1952] एस. सी. आर. 1091; करनेल सिंह बनाम एम. पी. राज्य (1995) 5 एससीसी 518:[1995] 2 पूरक।एस. सी. आर. 629-पर निर्भर।

बी.

संदर्भित निर्णय

(2022) 10 एस**.** सी**.** सी**. 321**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **6**

[2010] 11 एससीआर **493**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **7**

सी.

[1952] एससीआर **1091**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **8**

[1995] 2 पूरक।एससीआर **629** पर भरोसा किया गया

पैरा **21**

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2019 की आपराधिक अपील संख्या 1295।

डी.

2016 के सी. आर. एल. ए. सं. 915 में तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य के लिए हैदराबाद में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश से।

आर. बसंत, वरिष्ठ अधिवक्ता, जी. एन. रेड्डी, मनु कृष्णन, वी. विष्णु सी. कश्यप, रविशंकर, अधिवक्तागण अपीलार्थियों के लिए।

ई.

महफूज़ अहसान नाज़की, पोलंकी गौतम, के. वी. गिरीश चौधरी, शेख मोहम्मद हनीफ़, टी. विजया भास्कर रेड्डी, सुश्री नीति रिचरिया, सुश्री राजेश्वरी मुखर्जी, वाई. राजा गोपाल राव, सुश्री वाई. विस्मई राव, वाई. रमेश, धुली गोपी कृष्णा, अधिवक्तागण उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एफ.

संजय कुमार**,** जे।

1. 2012 के सत्र मामला संख्या 81 में पारित दिनांक 1 के निर्णय द्वारा, विद्वान 6 वें अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, सोमपेटा ने उसमें अभियुक्त को अभिनिर्धारित विद्वान , अर्थात।, दक्काटा बलराम रेड्डी (ए 1) और चिनापना गोपी (ए 2) आई. पी. सी. की धारा302,397 और 450 के तहत दंडनीय अपराधों के दोषी हैं और उन्हें तदनुसार सजा सुनाई गई है।उनकी दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि तब हुई जब तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य के उच्च न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों द्वारा दायर 2016 की आपराधिक अपील संख्या 915 को खारिज कर दिया।इससे व्यथित होकर दोनों आरोपी इस न्यायालय के समक्ष हैं।

जी.

एच.

ढाका बालाराम रेड्डी और ए. एन. आर. बनामआंध्र प्रदेश राज्य और ए. एन. आर. [संजय कुमार, जे।] ए.

ए.

2. अपीलार्थियों/अभियुक्तों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री आर. बसंत, आंध्र प्रदेश राज्य की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री महफूज अहसान नाज़की और दूसरे प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री वाई. राजा गोपाल राव को सुना गया।, शिकायतकर्ता।3. अभियोजन पक्ष का मामलाःशिकायतकर्ता, वेचा केशव राव (पीडब्लू-1), इच्छापुरम का निवासी है और उसका घर चिन्नामेदारवीधी में स्थित है, जिसमें वह अपना सोने और चांदी का व्यवसाय भी करता था। ए 1 एक सिविल ठेकेदार है जबकि ए 2, उसका बहनोई, एक पूर्व सैनिक है।लगभग 9 बजे, पीडब्लू-1 की अनुपस्थिति में, ए 1 और ए 2 ने अपनी शर्ट के नीचे लोहे की छड़ें छिपाकर उसके घर में अतिक्रमण किया और उसके बेटे, वेचा किरण कुमार (मृतक संख्या 1) और उसकी पत्नी, वेचा वेंकटगोपाला लक्ष्मी (मृत संख्या 2) की बेरहमी से हत्या कर दी; लगभग आई. डी. 1 किलो वजन के सोने के गहने और 1,18,340/- की नकदी लूट ली।उसी रात लगभग 11.00 बजे, पीडब्लू-1 ने उनके खिलाफ इच्छापुरम टाउन पुलिस स्टेशन में एक लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई।इसके बाद 2008 का अपराध सं. 61 पुलिस उप-निरीक्षक, इच्छापुरम ग्रामीण पी. एस. द्वारा दर्ज किया गया था। (पीडब्लू-23), और उन्होंने पुलिस निरीक्षक को सूचित किया जो इचापुरम सर्कल (पीडब्लू-26) का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। पीडब्लू-26 ने तुरंत जांच शुरू कर दी।उन्होंने अपराध स्थल का दौरा किया और मध्यस्थों की उपस्थिति में शवों की जांच की।सूचना मिलने पर, उसने मध्यस्थों की उपस्थिति में राधामवीधी, जगन्नाथस्वामी मंदिर, इच्छापुरम में सुबह 01.15 पर A2 को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से चोरी की संपत्ति का हिस्सा, यानी 1748 ग्राम 750 मिलीग्राम वजन के सोने के गहने और 1,18,340/- की नकदी बरामद की।इसके बाद उन्होंने एचापुरम के गोल्लावीधी से ए 1 को सुबह 04.00 पर गिरफ्तार किया और मध्यस्थों की उपस्थिति में उसके कब्जे से 1794 ग्राम 370 मिलीग्राम वजन के सोने के गहने बरामद किए।इस प्रकार, पीडब्लू-26 ने नकदी के साथ आरोपी से 3.543 किलोग्राम वजन के सोने के गहने बरामद किए।उन्होंने कई गवाहों से भी पूछताछ की।वह अपराध स्थल पर गया और एक रफ स्केच तैयार किया।उनके अनुरोध पर, पुलिस निरीक्षक, एफ. पी. बी. इकाई, श्रीकाकुलम (पी. डब्ल्यू.-24), क्लूज़ टीम के साथ अपराध स्थल पर गए और चार आकस्मिक उंगलियों के निशान विकसित किए।इसके बाद, पुलिस निरीक्षक, इच्छापुरम सर्कल (पीडब्लू-27) ने आगे की जांच शुरू की।उन्होंने अपराध स्थल का दौरा किया, गवाहों से पूछताछ की और उनके बयान दर्ज किए।जांच पूरी होने के बाद उन्होंने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया।उनके खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 397,411 और 450 के तहत आरोप तय किए गए थे। उन्होंने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और मुकदमा चलाने का दावा किया।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

890

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 4 एस सी आर।

4. मुकदमे के दौरान, अभियोजन पक्ष ने 27 गवाहों की जांच की और 1 से 99 तक सामग्री वस्तुओं (एम. ओ.) को पेश करने के अलावा सबूत में पी-21 को Exs.P-1 चिह्नित किया। अभियुक्त ने सबूत पेश नहीं विद्वान , लेकिन धारा 313 Cr.P.C के तहत जाँच की गई। साक्ष्य और एम. ओ. पर विचार करने पर, विद्वान छठे अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, सोमपेटा ने आरोपी को आई. पी. सी. की धाराओं, 397 और 450 के तहत दंडनीय अपराधों का दोषी ठहराया। उन्हें आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और प्रत्येक पर 2,000/- का जुर्माना; आई. पी. सी. की धारा 450 के तहत 10 साल की अवधि के लिए कारावास और प्रत्येक पर 2,000/- का जुर्माना; और आई. पी. सी. की धारा 397 के तहत 7 साल के कारावास की सजा सुनाई गई। जुर्माने के भुगतान में चूक के लिए आगे के कारावास का निर्देश दिया गया था।5. इससे आहत होकर अभियुक्त ने उच्च न्यायालय के समक्ष 2016 की आपराधिक अपील संख्या 915 दायर की।आई. डी. 1 दिनांकित निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने राय दी कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य, चिकित्सा साक्ष्य, उपयोग किए गए हथियारों और जिस तरीके से हमला किया गया था, उससे यह स्थापित होता है कि आरोपी का इरादा पी. डब्ल्यू.-1 के घर के कैदियों की मौत का कारण बनना था, जो आई. पी. सी. की धारा 300 के तहत अपराध के आवश्यक तत्वों को पूरा करता है, जो आई. पी. सी. की धारा 242 के तहत दंडनीय है। इसलिए, उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि मामले में कोई योग्यता नहीं थी और इसे खारिज कर दिया।इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति द्वारा यह अपील।

बी.

सी.

डी.

6. प्रारम्भ में, इस प्रकार के मामले में संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अधिकार क्षेत्र के दायरे पर ध्यान देना उचित होगा, जहां विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने समवर्ती रूप से निम्नलिखित निष्कर्षों को प्रस्तुत किया है -

ई.

अभियुक्त के खिलाफ अपराध।पप्पु बनाम में। उत्तर प्रदेश राज्य

[(2022) 10 एस. सी. सी. 321], इस न्यायालय ने इंगित किया कि साक्ष्य की सराहना के बाद विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति द्वारा अपील में, तथ्य के प्रत्येक निष्कर्ष को चुनौती नहीं दी जा सकती है और ऐसी अपील पर इस तरह से विचार नहीं किया जा सकता है जैसे कि यह न्यायालय साक्ष्य की पुनः प्रशंसा के लिए एक और मंच है।यह देखा गया कि यह केवल तभी है जब विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा मूल्यांकन को कानून या प्रक्रिया की किसी त्रुटि या साक्ष्य के गलत अध्ययन या न्यायिक प्रक्रिया के मानदंडों की अवहेलना से दूषित कहा जा सकता है, जिससे गंभीर पूर्वाग्रह या अन्याय हो सकता है, कि यह न्यायालय, और उचित मामलों में, न्याय की गंभीर या गंभीर विफलता को रोकने के लिए हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन इस तरह के पाठ्यक्रम को केवल प्रकट अवैधता के दुर्लभ और असाधारण मामलों में ही अपनाया जाना है।यह भी देखा गया कि ऐसी अपील नियमित ए नहीं है।

एफ.

जी.

एच.

891

ढाका बालाराम रेड्डी और ए. एन. आर. बनामआंध्र प्रदेश राज्य और ए. एन. आर. [संजय कुमार, जे।] ए.

अपील और यह न्यायालय साक्ष्य के शुद्ध मूल्यांकन के आधार पर तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करेगा और यह ऐसी अपील का दायरा नहीं है कि यह न्यायालय साक्ष्य की पुनः प्रशंसा करेगा ताकि विचारण न्यायालय द्वारा लिए गए और उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित दृष्टिकोण से अलग दृष्टिकोण लिया जा सके।

7. इससे पहले, शंभू दास उर्फ बिजॉय दास और एक अन्य बनाम।

बी.

असम राज्य [(2010) 10 एस. सी. सी. 374], इस न्यायालय ने पुष्टि की कि संविधान का अनुच्छेद 136 किसी पक्ष को अपील करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है और केवल इस

न्यायालय को उपयुक्त मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है जहां साक्ष्य को पढ़ने में अवैधता या गलतफहमी या गलती या भौतिक साक्ष्य की अनदेखी, बहिष्कार या अवैध रूप से स्वीकार करने के परिणामस्वरूप न्याय की गंभीर विफलता हुई है।8. यह तय की गई कानूनी स्थिति होने के कारण, अब मामले की जांच की जा सकती है।अपराध के वास्तविक अपराध का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है और मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है।यह कहने के लिए कि ऐसी स्थिति में, साक्ष्य की श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त की निर्दोषता के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार न छोड़े; न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने से पहले अभियुक्त 'होना चाहिए' और न कि केवल 'दोषी' हो सकता है, और स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए [देखें

सी.

डी.

हनुमंत गोविंद नरगुंडकर बनाम एम. पी. राज्य (ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 343)]

ई.

9. इस संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान दिया जा सकता हैःवेचा केशव राव (पीडब्लू-1) ने कहा कि, लगभग आईडी1 बजे, वह व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए सोमपेटा गया और लगभग आईडी2 बजे पीडब्लू-7/एलडब्ल्यू-8 से फोन आया कि आरोपी लगभग आईडी3 बजे उसके घर गया और उन्होंने घर से जोर से चिल्लाने और चिल्लाने की आवाज सुनी।पीडब्लू-7 ने तब उसे बताया कि कुछ समय बाद ए1 सोने के छोटे बंडल लेकर भाग गया, जबकि वह और एलडब्ल्यू 6 और 7 (पीडब्लू-4 और पीडब्लू-6) देख रहे थे और ए2 ऊपर से पीछे की ओर भाग गया। पीडब्लू-1 ने बताया कि वह सोमपेटा से लौटा और लगभग 10.00 या 10.30 बजे अपने घर पहुंचा और उस समय तक लोग उसके घर के बाहर जमा हो गए थे और उसके घर के सभी दरवाजे खुले थे।उसका बेटा दुकान के कमरे में सोफे के पास खून से लथपथ पड़ा था और फर्श पर लोहे की छड़ थी, और दक्षिणी तरफ के कमरे में, उसकी पत्नी खून से लथपथ पड़ी थी और उसे उसके पास एक और लोहे की छड़ मिली।सभी सोने के गहने दुकान की अलमारी और शो केस से गायब थे।इसके बाद वह पुलिस स्टेशन गए और एक रिपोर्ट (Ex.P-1) दर्ज कराई। पीडब्लू-1 ने कहा कि उसने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी और बेटे की हत्या आरोपी ने कर दी थी।उन्होंने यह भी बताया कि

एफ.

जी.

एच.

पुलिस ने कहा कि उसने सोने के गहने और 1,18,340/- की नकदी खो दी थी।अपनी जिरह में उसने कहा कि आरोपी उसके ग्राहक थे और सोना खरीदते थे या उससे पैसे लेते थे।उन्होंने ए 1 के ठेकेदार होने और अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में जानकारी होने से इनकार किया।

10. सिविल सहायक सर्जन, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, इच्छापुरम (पीडब्लू-19) ने मृतक संख्या 1 के शव का पोस्टमार्टम किया।उन्होंने एक पोस्टमॉर्टम प्रमाणपत्र (Ex.P-14) जारी किया जिसमें कहा गया था कि उनकी मृत्यु का कारण मस्तिष्क की चोट और सिर में चोट के बाद रक्तस्राव के कारण सदमा था।सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, इच्छापुरम (पीडब्लू-20) के एक अन्य सिविल सहायक सर्जन ने मृतक संख्या 2 के शव का शव परीक्षण किया और उसकी मृत्यु के कारण के बारे में बताते हुए एक शव परीक्षण प्रमाण पत्र (Ex.P-15) जारी किया।पीडब्लू-19 और पीडब्लू-20 दोनों ने इस बात से इनकार किया कि मृतक के शरीर पर चोटें पहली मंजिल से गिरने के कारण हो सकती हैं।वास्तव में, यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि उनकी मृत्यु प्रकृति में हत्या थी।इसके अलावा, शवों के पास खून से सने लोहे की छड़ें (एम. ओ. एस. 1 और 2) पाई गईं।11. हालाँकि वास्तविक हत्याओं का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, लेकिन तीन अलग-अलग गवाह थे जिन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण रात को उस देर रात एक या दोनों अभियुक्तों को पीडब्लू-1 के घर से 'भागते' देखने की बात कही थी।पीडब्लू 4,6 और 10 वे गवाह हैं।पीडब्लू-4 ने कहा कि वह सोने और चांदी का व्यवसाय भी कर रहा था और पीडब्लू-1 के साथ-साथ आरोपी को भी जानता था।उन्होंने कहा कि 21.08.2008 पर लगभग 09.00 बजे, वह और पीडब्लू-6 मेदारावीधी होते हुए डब्बुरी स्ट्रीट पर अपनी बहन के घर जा रहे थे और उस समय, उन्होंने पीडब्लू-1 के घर से तेज आवाजें सुनीं।वे चिल्ला रहे थे कि घर के अंदर क्या हो रहा है। घर पर लोगों की भीड़ जमा हो गई।फिर ए 1 पीडब्लू-1 के घर से बाहर आया और भाग गया। उसके बाद पुलिस पीडब्लू-1 के घर आई।अपने साथ वे सभी पीडब्लू-1 के घर के अंदर गए और पाया कि पीडब्लू-1 की पत्नी और बेटा मृत पड़े थे।पीडब्लू-1 का बेटा दुकान के कमरे में लेटा हुआ था और पीडब्लू-1 की पत्नी का शव बाथरूम में था जो दुकान के कमरे के पीछे था। पीडब्लू-1 तब शिविर से लौटा।जाँच के दौरान, न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, सोमपेटा (Ex.P2) द्वारा धारा 164 Cr.P.C के तहत उनका बयान दर्ज किया गया था।इस स्तर पर, पीडब्लू-4 को शत्रुतापूर्ण घोषित किया गया था और अभियोजन पक्ष द्वारा उससे जिरह की गई थी।उन्होंने पुलिस के सामने यह कहने से इनकार किया कि आरोपी ने पीडब्लू-1 के घर में प्रवेश किया था और सोने के गहने और नकदी चुरा ली थी।बचाव पक्ष द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में, पीडब्लू-4 ने कहा कि पीडब्लू-1 का घर चिन्नामेदारवीधी के बीच में था और दोनों तरफ ए का घर था।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

893

ढाका बालाराम रेड्डी और ए. एन. आर. बनामआंध्र प्रदेश राज्य और ए. एन. आर. [संजय कुमार, जे।] ए.

स्थित थे।उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि क्या पीडब्लू-1 सोने के आभूषणों को गिरवी रखने पर अग्रिम ऋण देता था।

12. पीडब्लू-6 ने बताया कि 21.08.2008 पर लगभग 09.00 बजे, वह और पीडब्लू-4 अपने घर की ओर जा रहे थे और पीडब्लू-4 फिर चिन्नामेदारवीधी होते हुए अपनी बहन के घर जा रहा था।जब तक वे पीडब्लू-1 के घर पहुंचे, उन्होंने रोने की आवाज सुनी और चिल्लाया कि क्या हुआ।इस बीच, 10 से 15 लोग वहाँ जमा हो गए।फिर, ए 1 पीडब्लू-1 के घर से बाहर आया और कंधे पर थैला लिए बाइक पर भाग गया।5 या 10 मिनट के बाद, ए 2 ने पीडब्लू-1 के घर की ऊपरी मंजिल से पड़ोसी घर में छलांग लगा दी और वहाँ से वह नीचे कूद गया।उस समय ए 2 के हाथ में एक थैला भी था।एक घंटे के बाद पीडब्लू-1 अपने घर लौट आया और पुलिस भी वहाँ आ गई।पहले कमरे में, यानी सोने की दुकान में, पीडब्लू-1 का बेटा खून से लथपथ पाया गया और उसकी पत्नी का शव दुकान के पीछे बाथरूम के पास मिला।शवों के पास लोहे की छड़ें मिली थीं।अपनी जिरह में, पीडब्लू-6 ने कहा कि जब तक वे वहां से गुजर रहे थे, तब तक लगभग 3 या 4 लोग पीडब्लू-1 के घर पर मौजूद थे।उन्होंने आगे कहा कि ए 1 एक ठेकेदार था और उसके पास 8 लॉरी थीं।हालाँकि उन्होंने ए 1 के सोने का व्यवसाय करने या मंदिर का निर्माण करने के ज्ञान को अस्वीकार कर दिया।वह पहने हुए कपड़ों का रंग और आरोपी द्वारा लिए गए थैलों का रंग नहीं बता सका।

बी.

सी.

डी.

13. पीडब्लू-7 ने कहा कि लगभग आईडी1 बजे, उसने अपनी किराना की दुकान बंद कर दी और घर लौट रहा था और जब तक वह पीडब्लू-1 के घर पहुंचा, उसने पीडब्लू-1 के घर से तेज आवाजें सुनीं और कुछ लोग वहां जमा हो गए थे।उन्होंने कहा कि उन्होंने पीडब्लू-1 को

फोन किया और उन्हें सूचित किया कि उनके घर से तेज आवाजें आ रही हैं और पीडब्लू-1 ने कहा कि वह घर लौटेंगे।लगभग 10.30 बजे, पीडब्लू-1 घर लौट आया और एक पुलिस रिपोर्ट दी गई।पुलिस के आने के बाद वे घर के अंदर गए और दुकान के कमरे में सोफे के पास बाईं ओर पीडब्लू-1 का बेटा खून से लथपथ पड़ा था।उसकी पत्नी बाथरूम के पास खून से लथपथ पड़ी थी और शवों के पास लोहे की छड़ें मौजूद थीं।उन्होंने आगे कहा कि पीडब्लू-1 के घर में सभी चीजें तोड़ दी गईं और लगभग 4 किलोग्राम सोना और नकदी चोरी/गायब हो गई।अपनी जिरह में उन्होंने कहा कि जब तक पुलिस वहां पहुंची, तब तक वह पीडब्लू-1 के घर के बाहर मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि पीडब्लू-7 ने अभियुक्त की उपस्थिति या पीडब्लू-1 को उसके घर में प्रवेश करने और छोड़ने के बारे में सूचित करने के बारे में कुछ नहीं कहा।

ई.

एफ.

जी.

14. पीडब्लू-10 पीडब्लू-1 के घर के सामने दूसरे घर में रहता था।उन्होंने कहा कि, 21.08.2008 पर लगभग 09.30 बजे, जब वे ले रहे थे

एच.

रात के खाने पर उसे बाहर से आवाज़ें सुनाई दीं।जब वह बाहर आया तो उसने देखा कि लगभग 10 लोग सड़क पर जमा हैं।इस बीच, ए 1 पीडब्लू-1 के घर से भाग गया और फिर ए 2 पीडब्लू-1 के घर से भाग गया।उन दोनों के हाथ में थैले थे।बाद में उसे पता चला कि आरोपी ने पीडब्लू-1 की पत्नी और बेटे की हत्या कर दी थी और सोना लेकर भाग गया था।उन्होंने कहा कि पीडब्लू-1 आधे घंटे या एक घंटे के भीतर घर आ गया।पुलिस भी घर पर आ गई।वह घर गया और मृतकों के शव देखे।अपनी जिरह में, उसने स्वीकार किया कि उसने पुलिस के सामने यह नहीं बताया कि ए 1 और ए 2 बैग पकड़े हुए थे और जल्दबाजी में पीडब्लू-1 के घर से निकल गए।15. अब, अभियुक्त की गिरफ्तारी और गिरफ्तारी पर आते हैं।पीडब्लू-17 ने कहा कि वह कोलिगाम गाँव के ग्राम राजस्व अधिकारी थे और 22.08.2008 पर, लगभग 01.00 पर, उन्हें पुलिस निरीक्षक द्वारा इच्छापुरम नगर पुलिस स्टेशन बुलाया गया था।तब तक एल. डब्ल्यू.-27 पहले से ही वहाँ था।उन्होंने कहा कि वे दोनों और पुलिस जगन्नाथस्वामी मंदिर के पास राधम स्ट्रीट गए।उस समय, एक व्यक्ति को उस जगह से भागते देखा गया और पुलिस ने उसका पीछा किया और उसे पकड़ लिया।हाथ में थैला लिए हुए था।उसने कहा कि उसका नाम

चिनापना गोपी (ए2) था और उसने कथित तौर पर अपराध करना कबूल कर लिया।थैले को जब्त कर लिया गया और उनकी उपस्थिति में खोला गया।उन्हें अंदर से सोने के गहने और 1,18,340/- की नकदी मिली।उसी दिन लगभग 04.00 या 04.30 बजे, वह इच्छापुरम टाउन पुलिस स्टेशन गया और दोनों आरोपी वहाँ मौजूद थे।पुलिस ने तब उसकी उपस्थिति में दोनों अभियुक्तों के खून से सने कपड़े जब्त कर लिए।अपनी प्रतिपरीक्षा में, उसने कहा कि उसे ए2 से जब्त किए गए थैले का रंग या जब्त किए गए आभूषणों की संख्या याद नहीं है।

बी.

सी.

डी.

ई.

16. ग्राम राजस्व अधिकारी, पुरुषोत्तमपुरम, इच्छापुरम मंडल, पीडब्लू-16 ने कहा कि, लगभग आईडी1 पर, पुलिस निरीक्षक, इच्छापुरम ने उन्हें फोन किया और एलडब्ल्यू-25 और वे दोनों, पुलिस निरीक्षक और अन्य पुलिस कर्मचारियों के साथ, एक पुलिस जीप में गोल्लावीधी गए। पुलिस की जीप को देखकर एक व्यक्ति भागने लगा लेकिन पुलिस ने उसका पीछा किया और उसे पकड़ लिया।उसे पुलिस निरीक्षक के सामने लाया गया और यह पूछने पर कि वह क्यों भाग रहा था, उसने अपनी पहचान डक्काटा बलराम रेड्डी (ए1) के रूप में बताई।उसने कथित तौर पर पीडब्लू-1 की पत्नी और बेटे की हत्या करने और सोने के गहने लेने की बात कबूल की। आभूषणों के बारे में पूछे जाने पर, वह अपने कमरे से एक थैले में आभूषण लाए, यानी लगभग 30 वस्तुएँ।पीडब्लू-16 ने आगे कहा कि, उसी दिन सुबह लगभग 04.40 पर, पुलिस निरीक्षक ने उसे पुलिस स्टेशन बुलाया और वह एलडब्ल्यू-26 के साथ वहाँ गया।

एफ.

जी.

एच.

895

ढाका बालाराम रेड्डी और ए. एन. आर. बनामआंध्र प्रदेश राज्य और ए. एन. आर. [संजय कुमार, जे।] ए.

ए.

पुलिस ने ए1 की पीली टी-शर्ट (एमओ 97) और हल्की सीमेंट रंग की जींस पैंट (एमओ 98) के साथ ए2 की सीमेंट रंग (एमओ 99) की खून से सना जींस जब्त की।

17. पीडब्लू-26 ने सोमपेटा में 13.10.2006 से 19.09.2008 तक पुलिस निरीक्षक के रूप में काम किया।उन्होंने कहा कि 21.08.2008 पर, जब वे इच्छापुरम सर्कल का अतिरिक्त

प्रभार संभाल रहे थे, उन्हें पुलिस उप-निरीक्षक, इच्छापुरम ग्रामीण पुलिस स्टेशन (PW-) से जानकारी मिली।23) विषय अपराध के बारे में।वह तुरंत वहाँ पहुँचा और आरोपी को पकड़ने के लिए वाहन की जाँच करने के लिए रेडियो संदेश भी प्रसारित किया।उन्होंने दोपहर 11.45 बजे अपराध स्थल का दौरा किया और शवों को नोट किया।इस बीच, उसे दोषियों की आवाजाही के बारे में जानकारी मिली और वह अपराध स्थल से चला गया।उन्होंने दो मध्यस्थों को सुरक्षित किया और अपने कर्मचारियों के साथ, वह लगभग 1 बजे राधामवीधि, जगन्नाथस्वामी मंदिर गए और देखा कि एक व्यक्ति बैग लिए हुए पुलिस को देखकर भागने की कोशिश कर रहा था।उसने व्यक्ति (ए 2) को पकड़ लिया और उससे थैले की सामग्री के बारे में पूछताछ की।उसने उससे पूछताछ की और उसने अपराध करना स्वीकार कर लिया।उसके द्वारा ले जाए गए थैले का सत्यापन किया गया और उसमें 1,18,340/- की नकदी के साथ सोने के गहने पाए गए।फिर, पीडब्लू-26, आरोपी, उसके कर्मचारी और मध्यस्थों के साथ, इच्छापुरम नगर पालिका के गोल्लावीधी में स्थित अन्य आरोपी, डक्काटा बलराम रेड्डी के घर पहुंचा, और पुलिस को देखकर, एक व्यक्ति (ए 1) ने भागने की कोशिश की।मध्यस्थों की उपस्थिति में उन्हें पकड़ लिया गया और उनसे पूछताछ की गई।उसने अपराध करना भी स्वीकार कर लिया और अन्य अभियुक्तों द्वारा दिए गए कथन की पुष्टि की।पीडब्लू-26 ने कहा कि फिर उसने उससे चोरी की संपत्ति के बारे में पूछताछ की और वह घर के बगल के कमरे से खून से सने कपड़ों के साथ एक थैला लेकर आया और उसे सौंप दिया।थैले में सोने के आभूषण थे।पीडब्लू-26 ने तब लगभग 04.00 पर ए 1 को गिरफ्तार किया और दोनों अभियुक्तों को जब्त की गई संपत्ति के साथ पुलिस स्टेशन लाया।अपराध के समय उनके कपड़ों के बारे में आगे पूछताछ करने पर, उन्होंने खुलासा किया कि अपराध के समय उन्होंने वही कपड़े पहने थे।फिर उसने कुछ अन्य कपड़े लिए और उनके खून से सने कपड़े जब्त कर लिए।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

18. पीडब्लू-27 ने कहा कि उन्होंने 09.02.2008 से 09.05.2010 तक इचापुरम में पुलिस निरीक्षक के रूप में काम किया।उन्होंने कहा कि उन्होंने 31.08.2008 पर मामले में आगे की जांच शुरू की और तब तक पीडब्लू-26 ने जांच की थी।उन्होंने मध्यस्थों की उपस्थिति में जब्त किए गए सोने के आभूषणों की परीक्षण पहचान परेड की बात की।

एच.

19. पुलिस निरीक्षक, एफ. पी. बी. इकाई, श्रीकाकुलम से पी. डब्ल्यू.-24 के रूप में पूछताछ की गई।उन्होंने कहा कि, पुलिस स्टेशन, इच्छापुरम से एक टेलीफोन संदेश प्राप्त होने पर, उन्होंने लगभग 06.00 पर 22.08.2008 पर एक सुराग दल के साथ अपराध स्थल का दौरा किया और एक कांच के शो केस पर चार संयोग फिंगरप्रिंट और एक क्रीम रंग के प्लास्टिक बॉक्स पर एक संयोग फिंगरप्रिंट विकसित किया।उन्होंने कहा कि उन्होंने दो संयोग प्रिंटों की फोटोकॉपी को तुलना के लिए अनुपयुक्त पाया, लेकिन ए, डी और ई के रूप में चिह्नित संयोग प्रिंट तुलना के लिए उपयुक्त थे।ए और ई के रूप में चिह्नित उंगलियों के निशान दोनों अभियुक्तों की उंगलियों के निशान के साथ लंबे थे।अपनी जिरह में, उन्होंने कहा कि उन्हें न्यायालय के माध्यम से आरोपी के नमूने के उंगलियों के निशान नहीं मिले, बल्कि जांच अधिकारी से मिले।

बी.

सी.

जहाँ तक इस फिंगरप्रिंट साक्ष्य का संबंध है, हम पाते हैं कि इसे विचार से हटाया जाना चाहिए क्योंकि अपराध स्थल से तथाकथित संयोग फिंगरप्रिंट उठाए जाने तक आरोपी पहले से ही हिरासत में थे।इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तथाकथित साक्ष्य को इकट्ठा करने में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था।विश्वसनीय गवाहों की उपस्थिति में इन मौका छापों को उठाने के समय कोई रिपोर्ट तैयार नहीं की गई थी।इसी तरह, जब अभियुक्तों के नमूने की उंगलियों के निशान लिए गए थे, तब भी कोई रिपोर्ट तैयार नहीं की गई थी।इसलिए, पीडब्लू-24 के साक्ष्य कि आरोपी की उंगलियों के निशान के साथ मिलान किए गए दो संयोग छापों को कोई महत्व नहीं दिया जा सकता है।उचित प्रक्रिया का पालन करने में विफलता ने पीडब्लू-24 के निष्कर्षों को पूरी तरह से अविश्वसनीय बना दिया।

डी.

ई.

20. वरिष्ठ वकील श्री आर. बसंत ने तर्क दिया कि पीडब्लू-1 के घर के बाहर कोई रोशनी उपलब्ध होने का कोई सबूत नहीं है, जिससे गवाहों ने आरोपी को बैग लेकर भागते विद्वान देखा हो।हमारी राय है कि इस अंतिम चरण में इस तथ्यात्मक पहलू को उठाना अभियुक्त के लिए खुला नहीं होगा।यह कभी भी मुद्दा नहीं बनाया गया कि विचाराधीन क्षेत्र में पर्याप्त स्ट्रीट लाइट नहीं थी, जिससे गवाहों के बयानों के प्रमाणिक मूल्य पर हमला किया जा सकता था जो उन्होंने देखा था।इसके अलावा, जैसा कि यह रिकॉर्ड में आया है कि पीडब्लू-1 की आभूषण की दुकान

के अलावा, आसपास में अन्य आभूषण की दुकानें थीं और पुलिस स्टेशन ही सिर्फ आधा किलोमीटर दूर था।यदि ऐसा होता, तो यह विश्वास करना मुश्किल है कि ऐसे क्षेत्र में स्ट्रीट लाइटिंग नहीं होती।किसी भी स्थिति में, यह न्यायालय इस तथ्यात्मक पहलू की जांच शुरू करने का प्रस्ताव नहीं करता है, जिसे न तो विचारण न्यायालय के समक्ष या न ही उच्च न्यायालय के समक्ष उठाया गया था।

एफ.

जी.

एच.

897

ढाका बालाराम रेड्डी और ए. एन. आर. बनामआंध्र प्रदेश राज्य और ए. एन. आर. [संजय कुमार, जे।] ए.

ए.

21. निर्विवाद रूप से अभियोजन पक्ष के मामले में कुछ विसंगतियां और विरोधाभास हैं। दुर्भाग्यपूर्ण रात को अपराध स्थल पर घटनाओं के क्रम के बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस के आने के समय और उन्होंने जो देखा और कहा, उसके बारे में अलग-अलग विवरण दिए।पीडब्लू-1 के बयान की कोई पुष्टि नहीं है कि यह पीडब्लू-7 ही था जिसने उसे आरोपी के घर में प्रवेश करने और बाहर निकलने के बारे में सूचित किया था, क्योंकि पीडब्लू-7 ने इस संबंध में कुछ नहीं कहा था।इसके अलावा, उस समय आरोपी द्वारा पहने गए कपड़ों की बरामदगी भी संदेह में डूबी हुई है।एक संस्करण यह है कि वे अभी भी उन्हें पुलिस स्टेशन में पहने हुए थे और उन्हें अन्य कपड़े प्रदान करने के बाद पुलिस ने उन्हें वहां जब्त कर लिया, जबकि दूसरा यह है कि ए 1 ने खून से सने कपड़े पीडब्लू-26 को गहने के थैले के साथ सौंप दिए।हालाँकि, समय बीतने के साथ गवाहों की गवाही में कुछ मतभेद होने की उम्मीद है कि उन्होंने क्या देखा और क्या कहा।यह ध्यान दिया जाए कि विषय घटना 21.08.2008 की रात को हुई थी और गवाहों के बयान 2015 के उत्तरार्ध में विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए थे।किसी भी स्थिति में, जैसा कि पहले ही यहां उल्लेख किया गया है, यह न्यायालय तथ्यात्मक मुद्दों पर बारी-बारी से जांच नहीं करेगा या साक्ष्य की फिर से सराहना नहीं करेगा, जब तक कि यह सामने नहीं लाया जाता है कि विचारण न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा साक्ष्य की सराहना में कुछ विकृति है, जिससे न्याय का स्पष्ट गर्भपात होता है।जाँच या प्रक्रिया में मामूली खामियाँ अपने आप में अभियोजन पक्ष के मामले पर अविश्वास करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।केवल दोषपूर्ण जाँच के आधार पर बरी होना चोट के अपमान को जोड़ना होगा [कर्नेल सिंह को देखें]

बी.

सी.

डी.

ई.

बनाम। एम**.** पी**.** राज्य **{(1995) 5** एस**.** सी**.** सी**. 518}]**

22. इसी तरह, टी. आई. पी. के दौरान पी. डब्ल्यू.-1 द्वारा सोने के आभूषणों की पहचान से कोई लाल झंडा नहीं निकलता है।आंध्र प्रदेश पुलिस जाँच नियमावली का आदेश 474, भाग I, खंड। आई. आई. ए. में प्रावधान है कि संपत्ति की पहचान न्यायालय परिसर में, मजिस्ट्रेट के आदेश के तहत, या तो मजिस्ट्रेट द्वारा या स्वतंत्र गवाहों के माध्यम से की जानी चाहिए, यदि संपत्ति पहले से ही न्यायालय में भेजी गई है, और अन्य मामलों में, स्वतंत्र गवाहों को पुलिस की अनुपस्थिति में, पंचनामे के तहत संपत्ति की पहचान की प्रक्रिया का संचालन करना चाहिए। चिन्हित की जाने वाली संपत्तियों को समान वस्तुओं के साथ मिलाया जाना चाहिए और गवाहों को उनकी पहचान करने के लिए कहा जाना चाहिए।इस मामले में जिस प्रक्रिया का पालन किया गया था, उससे पीडब्लू-1 की जब्त किए गए सोने के आभूषणों की पहचान पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है, जो उसकी दुकान से लिए गए थे।

एफ.

जी.

23. इस संबंध में, यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि ए 2 के पास एक बैग मिला था जिसमें चोरी के कुछ गहने थे और इसलिए,

एच.

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 114 (ए) के संदर्भ में इस तरह का कब्जा स्वयं उसके खिलाफ बोलता है।विशेष रूप से उनकी जानकारी में एक तथ्य होने के कारण, यह ए 2 को यह समझाना था कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 106 के तहत उन चोरी के गहने उसके कब्जे में कैसे आए।हालांकि, उनके द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया।ए 1 के संबंध में, यह अभियोजन पक्ष का मामला है कि उसने अपराध करना स्वीकार कर लिया और चोरी किए गए सोने के गहने के बारे में पूछताछ करने पर, वह खुद अपने घर के दूसरे कमरे में गया और सोने के गहने वाला एक थैला निकाला।इसलिए, उनके कबूलनामे का यह हिस्सा

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27 के तहत स्वीकार्य होगा, क्योंकि इससे चोरी किए गए सोने के गहने बरामद हुए।

बी.

सी.

24. इसमें कोई संदेह नहीं है कि अभियुक्तों से इस चोरी की संपत्ति की बरामदगी उन्हें हत्या के लिए दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं होगी।हालांकि, रिकॉर्ड पर साक्ष्य का वजन, संचयी रूप से लिया गया, निर्दोष रूप से आरोपी के अपराध की ओर इशारा करता है, जिससे दूसरे विचार के लिए कोई जगह नहीं बचती है।अपरिहार्य तथ्य यह है कि पीडब्लू 4,6 और 10, जो एक-दूसरे से स्वतंत्र गवाह थे और जिनकी अभियुक्तों के साथ कोई दुश्मनी या दुश्मनी नहीं थी, ने उन्हें अपने कब्जे में बैग के साथ दुर्भाग्यपूर्ण रात के पीडब्लू-1 के घर से भागते हुए देखने के बारे में एक साथ बात की।इस बारे में कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है कि तीन अलग-अलग गवाहों ने आरोपी को गलत तरीके से फंसाने का विकल्प क्यों चुना।

डी.

25. मामले की समग्रता को देखते हुए, जो दर्शाता है कि आई. डी. 1 और आई. डी. 2 की दरम्यानी रात के दौरान घटनाओं का क्रम एक के बाद एक तेजी से सामने आया, जिससे न केवल उपस्थित गवाहों द्वारा अभियुक्तों की पहचान की गई, बल्कि उनके कब्जे से चोरी किए गए सोने के गहने और नकदी की जब्ती के अलावा उनकी आशंका और गिरफ्तारी भी हुई, यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि पुलिस के लिए उन पर झूठा मामला उठाने का कोई समय या संभावना नहीं थी।ऐसे परिदृश्य में कुछ साल बीतने के बाद गवाहों द्वारा दिए गए बयानों में मामूली विसंगतियों और कमियों को अनिवार्य रूप से खारिज करना होगा।27. इस प्रकार देखने पर, हम पाते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र के प्रयोग की गारंटी देते हुए, विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा कोई पेटेंट अवैधता या प्रकट अन्याय नहीं किया गया है।इसलिए आपराधिक अपील को योग्यता से रहित पाया जाता है और इसे तदनुसार खारिज कर दिया जाता है।

ई.

एफ.

जी.

दिव्या पांडे

याचिका खारिज कर दी गई।

एच.

(सहायकः रूपांशी विरंग, एलसीआरए)